

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

लाजिस्टिक्स इकाई, सिग्नेचर भवन, पंचम तल, टावर-1 गोमतनीनगर विस्तार फेज-2 लखनऊ

(फैक्स नम्बर-0522-2724030)

पत्र संख्या: लाजि0-एम0टी0-19/2024 दिनांक: जनवरी 31, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली-2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या डीजी-चार-125-(14)/2018 दिनांक 14-09-2024 के साथ प्राप्त अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या पीआरपीबी-चार-12(34)/2024 दिनांक 10-09-2024 द्वारा निम्न आरक्षी चालकों को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष-2024 में उपयुक्त पाये जाने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 14-09-2024 के क्रम में 31 जनवरी, 2025 को अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिनांक 01-02-2025 से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर मुख्य आरक्षी चालक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
135	199	980660049	शेष नाथ यादव	फौजदार यादव	अयोध्या	2024
136	200	980441783	धर्मेन्द्र कुमार यादव	श्री शंकर यादव	सुरक्षा विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	2024
137	201	980660081	राजेश सिंह यादव	श्री रामधनी सिंह यादव	सोनभद्र	2024
138	202	960560255	जमालुद्दीन खॉ	श्री शहाबुद्दीन खॉ	39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर	2024
139	203	980630886	कुलदीप सिंह	श्री बलवीर सिंह	अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	2024
140	204	980711011	राज कुमार यादव	ज्ञान सिंह	उन्नाव	2024
141	205	980530939	विजय कुमार गुप्ता	श्री राम प्यारे गुप्ता	कमिश्नरेट, लखनऊ	2024
142	206	980550986	वीरेन्द्र सिंह	अवधेश बहादुर सिंह	सुरक्षा विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	2024
143	207	980660531	संजय कुमार सिंह यादव	राम अधार सिंह यादव	जनपद भदोही	2024
144	208	980441044	रणधीर कुमार सिंह	श्री कालिका सिंह	कमिश्नरेट, लखनऊ	2024
145	209	980690039	उदय शंकर तिवारी	भूनेश्वर तिवारी	48वीं आई० आर वाहिनी सोनभद्र	2024
146	210	980440878	प्रेमचन्द्र सिंह यादव	श्याम नारायण सिंह यादव	विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ०प्र०	2024
147	211	980440849	नरेन्द्र नाथ यादव	स्व० शंकर यादव	11वीं वाहिनी	2024
148	212	30550285	कृष्णपाल सिंह	सहदेव सिंह	बुलन्दशहर	2024

सूची क्रमांक	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ सं०	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
149	213	980660254	ईश्वरचन्द	श्री देवनारायण यादव	चन्दौली	2024
150	214	980470015	वीरेन्द्र सिंह चौहान	श्री छन्नू सिंह चौहान	अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	2024
151	215	980630424	संजय सिंह यादव	डालचन्द्र	ललितपुर	2024
152	216	030690312	सुभाष सिंह यादव	लाल जी सिंह यादव	जनपद भदोही	2024
153	217	30540066	राजेन्द्र	चरन सिंह	बुलन्दशहर	2024
154	218	030660032	पन्नेलाल यादव	श्री चन्द्रिका यादव	बस्ती	2024
155	219	041860061	अतहर हुसैन	नवाब जफर हुसैन	वि०अप०अनु०शाखा, ईओडब्लू उ०प्र० लखनऊ	2024
156	220	980650341	अशोक कुमार	राम स्वरूप सिंह	बुलन्दशहर	2024
157	221	980720240	कृष्ण शंकर यादव	श्री सुखूराम यादव	मुख्यालय पुलिस महानिदेशक	2024
158	222	980480032	अरुण कुमार सिंह	श्री पृथ्वीपाल सिंह	अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग, उ०प्र०, लखनऊ	2024
159	223	980541542	राजवीर सिंह	श्री प्रताप सिंह	कमिश्नरेट कानपुर नगर	2024
160	224	030721018	रमेश कुमार सिंह यादव	श्री जगदीश सिंह यादव	कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर	2024

2. पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी चालक अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई/शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे एवं कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सेवा नियमावली-2015 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे बढ़ाया जा सकेगा। सफलतापूर्वक परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर सक्षम स्तर से इस हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। पदोन्नति पाये कर्मियों के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो ऐसे कर्मियों नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। पदोन्नति पाये मुख्य आरक्षी चालक की आगामी नियुक्ति/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में अलग से निर्णय लिया जायेगा।

3. पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षी चालक से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या 13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियों यथा (क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है, (ख) यदि कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिए आरोप पत्र जारी किया जा चुका है तथा (ग) यदि आपराधिक आरोप पत्र के आधार पर कार्मिक के विरुद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है, अर्थात् न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप-पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। आरक्षी चालक के उपरोक्त के विरुद्ध विद्यमान नहीं हो।

4. यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में उर्पयुक्त प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान नहीं है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक को मुख्य आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र अथवा अभिलेखों में प्रस्तर-3 में अंकित परिस्थितियों विद्यमान पायी जाती है, तो सम्बन्धित आरक्षी चालक के पदोन्नति आदेश का क्रियान्वयन नहीं कराया जायेगा, तथा ऐसे सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या लॉजिस्टिक्स इकाई उ०प्र० लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए दिशा-निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5. यदि सम्बन्धित आरक्षी चालक द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई/पीएसी द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई/पीएसी में उसके द्वारा स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया है, साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित सम्बन्धित कर्मों को पदावनति किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख लॉजिस्टिक्स इकाई उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जायेंगे।

6. आदेश की प्रति एवं घोषणा पत्र की प्रति प्रारूप 'क' उत्तर प्रदेश पुलिस की बेवसाईट [up police-police units-Logistics-circular-For latest circular click here-Go to circular archive](#) पर प्रदर्शित है।

संलग्नक:

स्वघोषणा पत्र का प्रारूप-क


(राजकुमार)

अपर पुलिस महानिदेशक, लाजिस्टिक्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने जनपद/इकाई में नियुक्त सूची में अंकित आरक्षी चालकों को उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप पदोन्नति आदेश निर्गत करने का कष्ट करें:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, वि0अप0अनु0शाखा, ईओडब्लू उ0प्र0 लखनऊ।
5. पुलिस आयुक्त, लखनऊ/कानपुरनगर/गौतमबुद्धनगर।
6. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 लखनऊ।
7. वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, अयोध्या/बस्ती/सोनभद्र/उन्नाव/भदोही/बुलन्दशहर/चन्दौली एवं ललितपुर।
8. सेनानायक, 11वीं वाहिनी पीएसी सीतापुर/39वीं वाहिनी पीएसी मीरजापुर एवं 48वीं वाहिनी पीएसी सोनभद्र।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक/सदस्य, उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 10-09-2024 के संदर्भ में।
2. पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र दिनांक 14-09-2024 के संदर्भ में।

स्व-घोषणा-पत्र

में----- (नाम/पदनाम व पीएनओ)
पुत्र----- निवासी-----
थाना----- जनपद----- वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)
नियुक्त हूँ तथा घोषित करता हूँ कि:-

- (क) 'मेरे विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ।'
2. उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुए मेरे विरुद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. यह घोषणा-पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित कर्म के विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग माननीय न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है, तो उसका पूर्ण विवरण उनके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा:-

- (1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण-----
- (2) मेरे विरुद्ध उ०प्र०अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई ----- में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक----- को आरोप-पत्र दिया गया है।
- (3) मेरे विरुद्ध मु०अ०सं०----- द्वारा----- थाना----- जनपद----- में लम्बित है, जिसमें दिनांक----- को स्थानीय पुलिस अथवा जॉब एजेन्सी----- द्वारा आरोप-पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग----- वर्तमान में ----- स्तर पर चल रहा है।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोट:-स्वघोषणा-पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप-प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाय।